न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

नं0 115 / 2024 तारीख रजू :- 9/7/2024

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती, इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आई0डी0 नम्बर 2024/246

उनवान

ा पुत्री चरणसिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति माली निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला हाल निवासी भुकरवाली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

---वादीगण-03

बनाम

पत्नि कंचन जाति माली निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

---प्रतिवादीगण 04

दिनांक	फर्द अहकाम	
9/07/2024	यह दावा वादीगण की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2024 को पेश हो। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
25/7/24	पत्रावली पेश हुई वकुलाग उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ..... की तामील अमद ..... दिनांक.....को पेश हो। 1-8-24	
	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ..... पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो	
4/11/24	पत्रावली आज दि० 1-11-24 को स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हो। 24-1-25	
24/5/25	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ..... पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो। 13-5-25	
28/5/25	पत्रावली आज मिसल तहसील सा० द्वारा स्थानांतरित होकर पेश हुई। वादीगण वकील उ०। वादीगण वकील ने अवगत कराया कि वादीगण प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। वादीगण व वादीगण वकील ने प्रकरण वापिस ले लिया कराना चाहते है अत: मु० नं० 115/24 वाद शीर्षक वकील सरली वादीगण ने खारिज किया जाता है। पत्रावली अस्थाई हुआ कर नम्बर से कमी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:21 IST
Reason: SelfAttested